

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

S.B.Civil Misc. Appeal No.1167/2020

परियोजना निदेशक, नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया

बनाम

लाल खां एवं अन्य

आदेश दिनांक

22 जुलाई, 2020

माननीय न्यायाधिपति श्री अभय चतुर्वेदी

श्री अभिनव जैन अधिवक्ता मय
श्री भृगु शर्मा अधिवक्ता एवं
श्री अंशुल शर्मा अधिवक्ता वास्ते
डॉ. रामकिशन शर्मा— अधिवक्ता— अपीलार्थी की ओर से

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2019 के विरुद्ध प्रत्यर्थी लाल खां द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-34 मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर अवार्ड दिनांक 18.06.2019 को अपास्त किया तथा प्रकरण जिला कलेक्टर, भरतपुर को रिमाण्ड करते हुए आदेश में दिये गये निर्देशानुसार पुनः आदेश पारित किये जाने का आदेश दिया। उनका तर्क है कि धारा-34 मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 के तहत जिला न्यायाधीश के अधिकार बहुत ही सीमित है और वह मध्यस्थ द्वारा दिलायी गयी राशि को न तो घटा सकते हैं, न ही बढ़ा सकते हैं और न ही प्रकरण को रिमाण्ड ही किया जा सकता है।

अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने इस न्यायालय द्वारा पूर्व में एकलपीठ दीवानी विविध अपील संख्या-130/2020 नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया बनाम सत्यनारायण चौधरी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2020 की प्रति पेश की।

प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया।

प्रस्तुत तर्कों एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों को देखते हुए यह अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

इस अपील के नोटिस प्रत्यर्थीगण के नाम दिनांक 24.08.2020 की वापसी के लिए जारी किये जावे।

अपीलार्थी इस सम्बन्ध में आवश्यक नोटिस-तलवाना आदि एक सप्ताह में पेश करे।

पत्रावली दिनांक 24.08.2020 को पुनः न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे, तब तक विद्वान अधीनस्थ न्यायालय-अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1, भरतपुर द्वारा दीवानी विविध प्रार्थना पत्र संख्या-09/2019 (सी आई एस प्र.सं. 67/2019) उनवानी लाल खां एवं अन्य बनाम परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12.02.2020 की क्रियान्विति स्थगित रहेगी।

(न्या० अभय चतुर्वेदी)

अनिलशर्मा/M-47



सत्यमेव जयते